Fake Currency Notes

1209. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been invited to the news-item 'Fake notes flood West Bengal' published in the 'Times of India' of 26th June, 1994; if so, what are the details and in which other places counterfeit currency notes have been counterfeit currency notes have been what is the value thereof;

(b) whether it is a fact that counterfeit notes of large value are in circulation in Jammu and Kashmir and if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by Government to deal with the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) Yes, Sir. Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिल्ली पुलिस की आलोचना

1210. **श्री ओ० यी० कोहली :**
चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनक सिंह मोहन सिंह संगरोला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों ने लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के कितने मामलों में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आलोचना की है; और

(ख) न्यायालय के आदेशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) केवल एक मामले में, श्रीमान् । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि एक आपराधिक रिट याचिका के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक माह के भीतर 21,100/–रु० (लागत सहित) की राशि का भुगतान याचिका-दाता को कर दिया जाए, जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और दोषी पाए गए अधिकारियों से राशि वसूल की जाए और साथ-साथ उसके (उनके) खिलाफ कार्रवाई भी की जाए ।

(ख) तदनुसार, दिनांक 19–9–93 को 21,100/–रु० की राशि का भुगतान याचिका-दाता को किया गया । मामले में की गई जांच में, सहायक-उप-निरीक्षक छोटे लाल और सहायक उप-निरीक्षक ओम प्रकाश को चूक अर्थात् उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार करने के लिए, जिम्मेदार पाया गया । यद्यपि एक अन्य विभागीय जांच के आधार पर सहायक उप-निरीक्षक छोटे लाल को नौकरी से हटा दिया गया है, फिर भी इसी मामले में सहायक उप-निरीक्षक ओम प्रकाश के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

Exchange of firing between BSF and Bangladesh Rifles

1211. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a heavy exchange of fire between BSF Jawans and Bangladesh Rifles took place recently along the international border in South Tripura; and

(b) if so, the reaction of Government and how many persons lost their lives and what action was taken by Government to avert this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) The Indian Flood Control Workers

were fired upon by the Bangladesh Rifles without provocation on 26 June, 1994 when they were engaged in flood protection measures on the Muhari river under Belonia Sub-division of South Tripura. The Border Security Force returned the fire in retaliation. There has been no casualty on the Indian side. Protest has been lodged by the Border Security Force with the Bangladesh Rifles.

Kidnapping cases in Kashmir

1212. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of kidnapping cases from January, 1994 (till date) in Kashmir and how does it compare with the kidnapping cases in the corresponding period in 1993;

(b) in how many cases, ransom, if any, was paid to the militants for the release of the kidnapped (stating the amount of the ransom paid in each case); and

(c) the number of cases, if any, in which the kidnapped person were killed by the kidnappers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) As per available information during the period January to 15 July, 1994 145 persons were kidnapped, out of whom 74 persons were killed. During the corresponding period in 1993, 152 persons were kidnapped of whom 58 were killed. No instance of payment of ransom to militants for release of the kidnapped persons has been reported to the State Government.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

1213. **श्री जनार्दन यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में राज्यों की आबादी के अनुसार भर्ती की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त दोनों बलों में बिहार से कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई और क्या भर्ती आबादी के आधार पर की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो आबादी के आधार पर कब तक भर्ती की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में अखिल भारतीय आधार पर कांस्टेबलों की भर्ती की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्षिक रिक्तियों का आवंटन किया जाता है। गत 3 वर्षों के दौरान बिहार राज्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किए गए कांस्टेबलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	के०रि०पु० बल	सीमा सुरक्षा बल
1991	2089	424
1992	660	394
1993	719	342
जोड़	3468	1160